Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग
(राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

रोड़ सेफ्टी बिल के हिन्दी प्रारूप पर फीडबेक तथा सुझाव प्राप्त करने हेतु पब्लिक डोमेन में सर्कुलेशन

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022–23 का बिन्दु संख्या 24(i) निम्नानुसार है:–

> सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है, जो चिन्ता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से वाहन चालकों की regular training के साथ–साथ नियम तोड़ने व नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्यवाही आवश्यक है। सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से –
>
> I. Road Safety Act लाया जा कर Rajasthan Public Transport Authority का गठन प्रस्तावित है। साथ ही, HCM RIPA, जयपुर में State Road Safety Institute खोला जाएगा।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान रोड सेफ्टी बिल 2022 का अंग्रेजी प्रारूप पूर्व में 1 अगस्त से 15 सितम्बर 2022 तक फीडबेक एवं सुझावों हेतु पब्लिक डोमेन में प्रसारित किया गया था जिस पर 200 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए है। उक्त सुझावों में से एक सुझाव इस बिल का हिन्दी प्रारूप भी पब्लिक डोमेन में प्रसारित कर फीडबेक/सुझाव प्राप्त करने के संबंध में था।

उक्त क्रम में रोड सेफ्टी बिल का हिन्दी प्रारूप सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं, जिनके इस बिल से प्रभावित होने की संभावना है, के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रसारित किया जा रहा है तथा सूचित किया जाता है कि उक्त बिल के प्रारूप को आमजन के सूचनार्थ उपलब्ध कराने की तिथि से 7 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जायेगी।

रोड सेफ्टी बिल पर फीडबेक/सुझाव यदि कोई हो तो, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर–302005 को अथवा ई–मेल आईडी **addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 14 दिसम्बर 2022 तक भिजवाये जा सकते है।

उक्त बिल के हिन्दी प्रारूप पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था से निर्धारित अवधि में प्राप्त फीडबेक/सुझाव के परीक्षणोपरान्त इस विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये जायेगें। यह दस्तावेज एतद् द्वारा पब्लिक पोर्टल पर फीडबेक/सुझाव हेतु प्रसारित किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रोड सेफ्टी बिल को ओर अधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी बनाया जा सके।

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – मंगलवार, 14 दिसम्बर 2022

राजस्थान सडक सुरक्षा विधेयक,2022

राजस्थान राज्य में सडक सुरक्षा और राजंस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण,राजस्थान लोक परिवहन प्राधिकरण,समर्पित सडक सुरक्षा निधि और लोक परिवहन निधि की स्थापना के लिए, और तत्संबंद्ध और उनसे आनुषंगिक विषयों के क्रियान्वयन के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सडक सुरक्षा अधिनियम,2022 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राजस्थान सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रति निर्देश है।

2 परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) " दुर्घटना " से कोई भी घटना जिसमें किसी सार्वजनिक सडक पर किसी मोटर यान या यांत्रिक रूप से नोदित यान के उपयोग के कारण मृत्यु,शारीरिक क्षति या

किसी सार्वजनिक संपत्ति, अन्य यानों,व्यक्ति,व्यक्तियों या,यथास्थिति,अन्य यानों को कारित नुकसानी अभिप्रेत है,

(ख) " कार्य योजना " से राजस्थान राज्य सडक सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी राज्य स्तरीय सडक सुरक्षा योजना अभिप्रेत है,

(ग) " एम्बूलेंस " से बीमार या क्षतिग्रस्त व्यक्ति को किसी उपचार प्रसुविधा के लिए या यथा चिकित्सालय या ट्रोमा सेंटर पर परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ सहित चिकित्सीय रूप से सज्जित यान अभिप्रेत है,

(घ) " बाल वाहिनी " से राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित मार्ग निर्देशों का पालन करते हुए और स्कूल या महाविद्यालय के बच्चों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी बस,वेन या केब सहित किसी मोटर यान को निर्दिष्ट को करता है,

(ड) " बुनियादी जीवन आलंबन " उस प्रकार की देखभाल को निर्दिष्ट करता है जो प्रथम उत्तरदाता,स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और सार्वजनिक सुरक्षा वृत्तिक चिकित्सीय आपात स्थिति की दशा में किसी को भी उपलब्ध करवाता है,

(च) " हैसियत बिल्डिंग " से इस अधिनियम की धारा 46 में यथा निर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और निजी पणधारियों के लिए डिजाइन किया गया सडक सुरक्षा प्रशिक्षण अभिप्रेत है,

(छ) " प्रकोष्ठ " राज्य सडक सुरक्षा अभिप्रेत है, साथ ही इस अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट लीड एजेंसी भी कहलायेगी,

(ज) "सेंटर फार एक्सीलेंस " से इस अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट सेंटर अभिप्रेत है,

(झ) " परिषद् " से इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य सडक सुरक्षा परिषद् अभिप्रेत है,

(ञ) " जिला " से राजस्थान राज्य मे कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है,

(ट) " खण्ड" राजस्थान राज्य में सात प्रशासनिक खण्डों को निर्देशित करता है,

(ठ) ''विशेषज्ञ'' से प्रकोष्ठ द्वारा यथाविहित पर्याप्त अर्हता और अनुभव रखने वाले सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत वृत्तिक या व्यष्टि अभिप्रेत है,

(ड)''निधि'' से इस अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट समर्पित सड़क सुरक्षा निधि अभिप्रेत है,

(ढ)'नेक व्यक्ति'' किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशित करना है जिसने किसी मोटर यान को अंतर्वलित करते हुए किसी भी दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया हैं, या किसी भी पारितोष या प्रतिकर पर बिना किसी भी विचार के किसी मोटर यान या गैर यांत्रिक रुप से नोदित यान को अंतर्वलित करते हुए दुर्घटना से पीड़ित किसी को चिकित्सालय ले गया है,

(ण)''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(त)''एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली'' सड़क उपभोक्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन, यातायात कानून प्रवर्तन और यातायात सूचना प्रसारण के लिए कृत्रिम बुद्धिमता और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए समाधान अभिप्रेत है,

(थ)''स्थानीय प्राधिकारी'' से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के अधीन गठित कोई पंचायत या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 के अधीन गठित कोई नगरपालिका अभिप्रेत है,

(द)''नोडल विभाग'' परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग को निर्देशित करता है,

(ध)''गैर यांत्रिक रुप से नोदित परिवहन'' से विभिन्न प्रकार के साधनो सहित जैसे वॉकिंग, साइक्लिंग, स्केट्स, स्केटबोर्डस, पुश स्कूटर्स, व्हीलचेयर, हथ–गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, तांगा या पशुचालित कोई भी अन्य गाड़ी का सक्रिय परिवहन अभिप्रेत है,

(न)''यात्री'' से कोई भी ऐसा व्यक्ति, विशेष रूप से जो कि ड्राइवर या पायलट नहीं है, जो किसी ऑटोमोबाइल, बस, ट्रेन, हवाईजहाज या अन्य वाहन में यात्रा कर रहा है, अभिप्रेत है,

(प)''पॉलिसी'' से राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य सड़क सुरक्षा पॉलिसी अभिप्रेत है,

(फ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ब) ''सार्वजनिक सडक'' में कोई भी निजी सडक सम्मिलित होगी जिस पर जनता की पहुंच हो और साथ ही यातायात द्विपीय अंतःस्थल और फुटपाथ सम्मिलित होगा,

(भ) ''अनुसंधान प्रयोगशाला'' से इस अधिनियम की धारा 10(2) में निर्दिष्ट सडक सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला अभिप्रेत है,

(म) '' सडक स्वामित्व रखने वाली एजेन्सी'' से सडक संनिर्माण और रख–रखाव से संबंधित संदर्भ में अंतर्वलित सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अभिप्रेत है,

(य) ''पणधारी'' से इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट सडक सुरक्षा के लिये पणधारी विभाग अभिप्रेत है,

(कक) ''प्रशिक्षण संस्था'' से इस अधिनियम की धारा 10(3) में निर्दिष्ट सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के अधीन विकसित किये जाने वाले राज्य सडक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था अभिप्रेत है,

(खख) ''परिवहन प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट गठित होने वाला राजस्थान लोक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(गग) ''प्राथमिकता निर्धारण के प्रोटोकॉल'' से क्षति की गंभीरता ऐसी देखभाल से लाभान्वित होने की उनकी संभावना की तुलना में तुरन्त चिकित्सकीय उपचार के लिए उनकी आवश्यकता पर आधारित लोगों को छांटने की प्रक्रिया अभिप्रेत है,

(घघ) ''स्कीम'' से मोटरयान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है,

(डड) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(चच) ''यातायात पार्क'' से ऐसा पार्क अभिप्रेत है जहां विधार्थी और जनता सडको, सडक फर्नीचर, प्रौद्योगिकी समाधानों या कतिपय श्रव्य, दृश्य तरीकों के प्रदर्शन के साधनों द्वारा सडक के नियमों को सीख सकते हैं,

(छछ) ''क्षेत्र'' से राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की प्रमुखता वाला परिवहन क्षेत्र अभिप्रेत है,

(जज) ''विनियम'' से इस अधिनियम की धारा 90 के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत है,

(झझ) ''सडक सुरक्षा प्राधिकरण'' से इस अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ञञ) ''यान'' में मानव प्राणियों, जानवरों या माल के परिवहन या चलन के लिये प्रयुक्त किये जाने योग्य कोई भी मशीन या युक्ति सम्मिलित है,

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), राजस्थान राजमार्ग संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का 6) या तदधीन बनाये गये नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

सडक सुरक्षा के लिए संस्थागत इंतजाम

3 राजस्थान सडक सुरक्षा पॉलिसी :– (1) राज्य में सडक दुर्घटनाओं, परिणामतः क्षतियों और दुर्घटना से मौतों की संख्या कम करने के लिये सरकार सडक सुरक्षा क्रियाकलापों में लगे हुये सभी पणधारी विभागों और अन्य एजेन्सियों से सुसमन्वित, समर्पित और केन्द्रित प्रयासों के लिए राजस्थान राज्य सडक सुरक्षा पॉलिसी जारी करेगा।

(2) पॉलिसी प्रत्येक पांच वर्षों के लिये जारी की जायेगी और विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने के पश्चात् पॉलिसी को अपडेट किया जायेगा और पॉलिसी को अपडेट करते समय प्रचलित सडक सुरक्षा परिदृश्य को समायोजित करने के लिए पुनः जारी की जायेगी।

4 सडक सुरक्षा पणधारी विभाग :– मोटरयानों के विनियमन, चालक अनुज्ञप्ति जारी करने, यातायात प्रबंधन, प्रवर्तन, सडक संनिर्माण और रख–रखाव, शिक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित ऐसे क्रियाकलापों में अन्तर्वलित विभाग जो कि प्राथमिक रूप से सडक उपयोगिताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात् :–

(क) परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग

(ख) पुलिस विभाग

(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग

(घ) चिकित्सा शिक्षा

(ड) सडक स्वामित्व और प्रबंधन एजेन्सियां–

(i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.)

(ii) स्वायत्त शासन विभाग (स्वा.शा.वि.)

(iii) नगरीय विकास एवं आवासन (न. वि आ)

(iv) राजस्थान राज्य सडक सुरक्षां निगम (रा रा स सु नि)

(v) राजस्थान की राज्य अवसंरचना विकास कंपनी लिमिटेड (रा रा अ वि कं लि0)

(vi) राजस्थान आवासन बोर्ड (रा आ बो)

(vii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण– क्षेत्रीय कार्यालय (भा रा रा प्रा)

(viii) परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय– क्षेत्रीय कार्यालय (मोर्थ)

(ix) सीमा सडक संगठन (सी स सं)

(x) सडक संनिर्माण और रख रखाव में अंतर्वलित कोई भी अन्य एजेन्सी जो उचित समझे।

(च) स्कूल शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा विभाग।

(छ) विभाग कार्यालय आदेश द्वारा सउक सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य विभाग को पणधारी विभाग के रुप में सम्मिलित कर सकेगा जब कभी वो उचित समझे।

5 राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण :–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर–भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन प्रसतुत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, और इसे समनुदेशित कृत्यों को सम्पादित करने के लिए राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से ज्ञात राज्य प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) राज्य सुरक्षा प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लायेगा और लाया जायेगा।

(3) राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण का मुख्यालय राज्य राजधानी, जयपुर में होगा।

(4) सडक सुरक्षा प्राधिकरण राजस्थान राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(5) सडक सुरक्षा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखत को सम्मिलित करते हुए किन्तु सीमित नही सडक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं पर, राज्य सरकार को सलाह प्रदान करेगा–

(i) सडक सुरक्षा से संबंधित मोटर यान अधिनियम,1988 का प्रभावी क्रियान्वयन,

(ii) राज्य में सडक सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए प्रभावी पालिसियों, स्कीमों,परियोजनाओ और कार्यक्रमों का सूत्रीकरण,

(iii) सडक सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव्यों का निर्वहण करने के लिए पणधारी विभागों और एजेंसियों का साथ समन्वय करना,

(iv) सडक सुरक्षा मानकों, प्रक्रियाओं को विहित और प्रवृत्त करना और विहित मानकों और प्रक्रियाओं के साथ संचालित करना या करवाना,

(v) सडक सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के संबंध में पणधारी विभागों से समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करवाना,

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय समिति के साथ सडक सुरक्षा पर संपर्क स्थापित करना और समिति द्वारा बुलायी गयी बैठकों या समीक्षा में उपस्थित होना और समिति द्वारा किये गये ऐसे निदेशों की अनुपालना मेंके लिए ईप्सित समस्त ऐसी सूचना या रिपोर्ट या चर्चा या सांख्यिकी या अभिलेख इत्यादि सौंपना। सभी पणधारी विभाग निरपवाद रुप से समिति द्वारा जारी निदेशों का

क्रियान्वयन करेंगे और समिति के निदेश में यथा विनिर्दिष्ट विहित समय के भीतर भीतर समिति दृवारा चाहे गये समस्त डाटा या सूचना प्रस्तुत करेंगे,

(vii) पणधारी विभागों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सडक सुरक्षा परियोजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना,

(viii) समस्त सामुदायिक समूहों और सरकारी और निजी संगठनों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों और सिविल सोसाइटियों के जरिए संचालित किये जाने वाले सडक सुरक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा, जागरूकता गतिविधियों इत्यादि का क्रियान्वयन करना,

(ix) सडक सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव्यों का निर्वहण करने वाली समस्त एजेंसियों और विभागों के कृत्यों का समन्वय करना,

(x) सडक सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव्यों का निर्वहण करने वाली समस्त एजेंसियों और सरकारी विभागों के कृत्यों का समन्वय करना,

(xi) प्रभावी पालिसी नियोजन, कार्य योजना निर्माण और विकास के लिए वैज्ञानिक रुप से साबित दृष्टिकोण और कार्यपद्धति के साधनाों द्वारा सडक सुरक्षा पर अनुसंधान और विकास वर्धन के लिए संस्थाओ के साथ सहयोग करना,

(xii) राज्य की उपयुक्तता और आवश्यकता के अनुसार राज्य में सर्वोत्तम पद्धतियों को अगीकृत करने के लिए सडक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करना,

(xiii) समर्पित सडक सुरक्षा निधि के प्रबंधन और संवितरण की व्यवस्था करना,

(xiv) सडक सुरक्षा स्कीमों, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन,सडक सुरक्षा से संसक्त उपस्कर और उपकरण की स्थापना, विषयों पर अध्ययन, परियोजना और अनुसंधान का संचालन, ट्रोमा केयर कार्यक्रम या क्रियाकलाप, सडक सुरक्षा प्राधिकरण का प्रशासनिक व्यय, और सडक सुरक्षा अध्युपायों से संसक्त विषयों पर क्रियान्वयन के लिए व्यय मंजूर करना,

(xv) पुलिस विभाग के जरिए व्यापक सडक दुर्घटना डाटाबेस प्रबंध तत्र की स्थापना और संधारण करना,

(xvi) सडक सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय समिति के निदेशों के अनुसार कार्य–योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और समय–समय पर इसका पुनरीक्षण करना,

(xvii)) सडक सुरक्षा अध्युपायों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए पणधारी विभागों के प्रमुख द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान का संचालन करना,

(xviii) जनता के मध्य सडक सुरक्षा जागरुकता फैलाने के लिए सडक उपयोक्ताओं, सडक दुर्घटना पीडितों, सडक सुरक्षा कार्यकर्त्ताओं और उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना,

(xix) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहण करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में विहित किये जायें।

(6) सडक सुरक्षा प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहण के लिए इतने तकनीकी कार्यरत समूह गठित करेगाा जिवने आवश्यक समझे जायें जिसमें प्राधिकरण द्वारा

यथा–विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों के निर्वहण में स्वतत्र निर्णय बनाये रखने और प्रयोग करने की सार्म्थ्य वाले स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

6 राज्य सडक सुरक्षा परिषद् और समिति–(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य परिषद् का, जिसमें अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होगे जैसा कि सरकार आवश्यक समझे और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि सरकार अवधारित करे, गठन कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य में प्रत्येक जिले के लिए जिला सडक सुरक्षा समिति का, जिसमें अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होगे जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि सरकार अवधारित करे, गठन कर सकेगी।

7 राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ–(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पणधारी विभागों से अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनियुक्त करके परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग के भीतर राज्य में सडक सुरक्षा के लिए राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर सकेगी जिसे लीड एजेंसी के रुप में जाना जायेगा ।

(2) राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ में सरकार द्वारा यथा अवधारित अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित विंग होंगे अर्थात्:–

(क) प्रशासन विंग

(ख) सडक अभियांत्रिकी विंग

(ग) ट्रोमा केयर विंग

(घ) प्रवर्तन विंग

(ड) शिक्षा विंग

(च) अनुसंधान और प्रशिक्षण विंग

(छ) आई टी एवं नवाचार विंग

(ज) वित्त विंग

(3) राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ की किसी या सभी विंग्स में समय समय पर ऐसी संख्या में सडक सुरक्षा सलाहकार या विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेंगे जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये। सडक सुरक्षा प्राधिकरण सलाहकारों या विशेषज्ञों की संख्या को बढाकर या घटाकर सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन कर सकेगा।

(4) सलाहकारों या विशेषज्ञों के पदनाम,नियुक्ति का तरीका और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये।

(5) राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण, राज्य सडक सुरक्षा प्राधिकरण के सुचारू कृत्यकरण के लिए प्रशासनिक,वित्तीय और अनुसंधान सहायता के लिए उपबंध करेगी।

8 राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कृत्य– राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:–

(क) राज्य सडक सुरक्षा परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करना,

(ख) राज्य सडक प्राधिकरण के लिए कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करना,

(ग) सडक सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करना,

(घ) सडक सुरक्षा से संबंधित सभी पणधारी विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना,

(ड) समस्त पणधारी विभागों से परामर्श करके राज्य सडक सुरक्षा पालिसी के उद्देश्यों को सम्मिलित करके लक्ष्य उन्मुख सडक कार्य योजना तैयार करना,

(च) राज्य सडक सुरक्षा कार्य योजना द्वारा प्रस्तावित क्रियाकलापों क पणधारी विभागों और अन्य से अनुपालना सुनिश्चित करवाना,

(छ) सडक सुरक्षा अध्युपायों पर बजट आवंटन और विवेकपूर्ण व्यय के लिए प्रस्ताव तैयार करना,

(ज) माननीय उच्चतम न्यायालय समिति द्वारा, जब कभी भी निदेशित किया जाये, जारी निदेशों की अनुपालना के लिए सडक सुरक्ष प्राधिकरण,राज्य सडक सुरक्षा परिषद् के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना,

(झ) जिला सडक सुरक्षा समिति की नियमित बैठको का आयोजन और उनके जरिए राज्य स्तरीय लिए गये विनिश्चयों की अनुपालना को सुनिश्चित करना, और

(ञ) राज्य में सडक सुरक्षा से संबंधित समस्त अन्य क्रियाकलापों के क्रियान्वयन को मानीटर और सुनिश्चित करना।

9 सडक सुरक्षा युद्ध कक्ष –(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण, राजस्थान में सडक दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के सुदृढीकरण के लिए उसमें यथाविनिर्दिष्ट तारीख से, आदेश द्वारा युद्ध कक्ष का गठन कर सकेगा।

(2) युद्ध कक्ष सडक दुर्घटना पीडितों को गोल्डन आवर के भीतर तुरन्त अनुतोष उपलब्ध करवाने के लिए कृत्य करेगा।

(3) युद्ध कक्ष, वाहन के चालक या अधिभोगी या सडक दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी द्वारा किसी सडक दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए की गयी, आपातकालीन काल को संभालेगा।

(4) युद्ध कक्ष घटना को रजिस्टर करने के पश्चात् परिवहन,पुलिस,चिकित्सा और स्वास्थ्य और सडक स्वामित्व एजेंसियों सहित संबंधित पणधारियों के साथ भी दोनों स्तरों पर जहां घटना घटित हो चुकी है और राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करेगा।

10 एक्सीलेंस के लिए सडक सुरक्षा केन्द्र–(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण, कार्यालय आदेश द्वारा राज्य राजधानी में एक्सीलेंस के लिए एक सडक सुरक्षा

केन्द्र की स्थापना करेगी। यह केन्द्र सडक सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के लिए ज्ञान बैंक, ज्ञान परिदान, और अनुसंधान एवं विकास और अन्य गतिविधियों के रुप में सुविधा प्रदान करेगा।

(2) सेंटर फार एक्सीलेंस केन्द्र के भीतर भीतर सडक सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करेगा जो सडक सुरक्षा के समस्त पहलुओं जैसे सडक अभियांत्रिकी, यान अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, शिक्षा, और आपातकालीन देख–रेख इत्यादि को सम्मिलित करते हुए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के प्रति कार्य करेगा।

(3) केन्द्र, विभिन्न सरकारी विभागों, प्राइवेट संस्थाओं, और अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सडक सुरक्षा प्रशिक्षण और हैसियत बिल्डिग के लिए, केन्द्र के भीतर एक राज्य स्तरीय सडक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करेगा।

(4) राज्य में सडक सुरक्षा परिदृश्य को सुधारने के लिए सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि, निबंधनों और शर्तों के लिए केन्द्र ज्ञान परिदान, अनुसंधान, और विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए ऐसे विषय–विशेषज्ञ या सलाहकार लगायेगा ।

11 जिला सडक सुरक्षा समिति –(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं 59) की धारा 215 की उप–धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में सडक सुरक्षा पणधारी विभागों से अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक जिले में जिला सडक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। जिला सडक सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों को सम्पादित करेगी जैसा कि सरकार द्वारा विहित किये जायें ।

(2) सडक सुरक्षा प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से जिला सडक सुरक्षा समिति में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन इसके कर्तव्यों के निर्वहण के लिए आवश्यक समझें।

(3) कर्मचारियों के पदाभिधान, नियुक्ति का तरीका और अन्य सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित की जायें।

12 शक्तियों का प्रत्यायोजन – सडक सुरक्षा प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि वह उचित समझे,सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सडक सुरक्षा क्रियाकलापों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, सडक सुरक्षा आयुक्त, अतिरिक्त सडक सुरक्षा आयुक्त या जिला सडक सुरक्षा समिति को ऐसी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाये ।

13 राजस्थान सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के होने के छह माह की कालावधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष, राज्य सरकार से प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या, और ऐसे अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसे निबंधनों और शर्तों पर आवश्यक समझे जायें ।

(2) परिवहन प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लायेगा और लाया जायेगा।

(3) राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण का मुख्यालय राज्य राजधानी, जयपुर में होगा।

(4) सार्वजिनिक सडक सुरक्षा प्राधिकरण राजस्थान राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(5) सार्वजिनिक सडक सुरक्षा प्राधिकरण राज्य सरकार को, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए किन्तु सीमित नहीं सार्वजनिक परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं पर सलाह देगा,–

(i) राज्य में सार्वजनिक परिवहन के सुदृढीकरण के लिए प्रभावी पालिसियों,स्कीमों,परियोजनाओं, और कार्यक्रमों का सूत्रीकरण करना,

(ii) राजस्थान राज्य सार्वजनिक परिवहन पालिसी मे विहित उद्‌दैश्यों का प्राप्त करना जब कभी सरकार द्‌वारा जारी कियें जायें,

(iii) अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को प्राप्त करके राज्य में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का सुधार करना,

(iv) राज्य में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं के लिए अपेक्षित अवसंरचना विकसित करना,

(v) सार्वजनिक परिवहन से संबंधित कर्तव्यों के निर्वहण के लिए पणधारी विभागों और एजेसिंयों के साथ समन्वय करना,

(vi) सार्वजनिक परिवहन मानकों, प्रक्रियाओं को विहित करना और प्रव्त्त करना और विहित मानकों और प्रक्रियाओं के साथ संचालन करना या संचालित करवाया जाना,

(vii) पणधारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना,

(viii) राज्य में सार्वजनिक परिवहन परिदृश्य को सुदृढ करने के लिए पणधारी विभागों के लिए शिक्षा, जागरुकता क्रियाकलाप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना,

(ix) प्रभावी पालिसी नियोजन, कार्य योजना निर्माण और विकास के लिए वैज्ञानिक रूप से साबित एप्रोच और कार्यपद्धति के साधनों द्‌वारा सडक सुरक्षा पर अनुसंधान और विकास वर्धन के लिए संस्थाओं के साथ सहयोग करना,

(x) राज्य की उपयुक्तता और आवश्यकता के अनुसार राज्य में सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकृत करने के लिए सडक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करना,

(xi) सार्वजनिक परिवहन निधि के प्रबंधन और संवितरण की व्यवस्था करना, और

(xii) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहण करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध मे विहित किये जायें।

अध्याय 3

समर्पित सडक सुरक्षा निधि

14 समर्पित सडक सुरक्षा निधि–(1) सडक सुरक्षा प्राध्किरण के गठन के पश्चात्,सडक सुरक्षा के लिए गैर व्यपगत राज्य स्तरीय निधि स्थापित की जायेगी जिसे समर्थित सडक सुरक्षा निधि के नाम से जाना जायेगा ।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा–

(क) राज्य सरकार, मोटर यान अधिनियम,1988(1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 59) की धारा 200 के पूर्ववर्ती वर्ष में संगृहीत शमन फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर रकम प्रत्येक वर्ष अभिदाय करेगी ।

(ख) इस अधिनियम की धारा 51 के अधीन संगृहीत शमन फीस,

(ग) सरकार द्वारा अधिसूचित और अनुमोदित प्रकृति का भुगतान,

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा दिये गये कोई भी अनुदान,ऋण,अभिदाय या अग्रिम,

(ड) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया आय का कोई भी अन्य स्त्रौत,

(च) पब्लिक और निजी संस्थाओं या संगठनों से अभिदान,

(3) निधि के ऐसे अन्य स्त्रौत जो सरकार द्वारा विहित किये जायें।

15 सडक सुरक्षा निधि का निहित होना और प्रशासन –(1) सडक सुरक्षा निधि सडक सुरक्षा प्राधिकरण में निहित होगी और इसके द्वारा प्रशासित की जायेगी ।

(2) सडक सुरक्षा प्राधिकरण निहित निधि का ऐसी रीति से प्रशासन करेगा जैसा कि विहित किया जाये ।

(3) निधि का भाग होने वाली समस्त रकम सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में निक्षिप्त करायी जायेगी और खाते का प्रचालन संयुक्त रूप से या सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

16 सडक सुरक्षा निधि का उपयोग–(1) निधि का समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा,अर्थात्:–

(क) सडक सुरक्षा स्कीमों और कार्यक्रमों के कियान्वयन के लिए व्यय मंजूर करना,

(ख) सडक सुरक्षा को बढाने के लिए सडक सुरक्षा परियोजनाओं और उपस्करों/उपकरणों के उपापन और स्थापना के लिए व्यय मंजूर करना,

(ग) राज्य स्मावित्व वाली सडकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित माइनर सडक सुधार के लिए व्यय मंजूर करना,

(घ) राज्य में ट्रोमा देखरेख सुदृढीकरण और ट्रोमा देखरेख से संबंधित कार्यक्रमों या कियाकलापों के संचालन के लिए व्यय मंजूर करना,

(ड) सडक सुरक्षा से संबंधित अध्ययन,परियोजनाओं और मामलों पर अनुसंधान और विकास के संचालन के लिए व्यय मंजूर करना,

(च) सडक सुरक्षा अध्युपायों से संसक्त मामलों पर व्यय मंजूर करना,

(छ) सडक सुरक्षा प्राधिकरण या राज्य सडक सुरक्षा प्राधिकरण या राज्य सडक सुरक्षा परिषद् या राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ या जिला सडक सुरक्षा समिति का व्यय मंजूर करना,

(ज) सडक सुरक्षा प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए व्यय मंजूर करना,

(झ) सडक सुरक्षा से संसक्त मामलों पर व्यय जैसा कि सडक सुरक्षा प्राधिकरण उचित समझे, और

(ण) कोई भी अन्य प्रयोजन जैसा कि राज्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये।

17 व्यय—(1) स्टाफ और कर्मचारियों के वेतन और भते सहित निधि के प्रशासन के समस्त व्ययों का निधि में से भुगतान किया जायेगा।

18 लेखा— निधि के लेखा सडक सुरक्षा प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से विहित किये जायेंगे जो विहित की जाये ।

19 संपरीक्षा —(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण के लेखा महालेखाकार द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष लेखाओं की आंतरिक संपरीक्षा ऐसे अधिकारियों द्वारा करवा सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सडक सुरक्षा प्राधिकरण के लेखा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) सडक सुरक्षा प्राधिकरण ऐसे सुधारात्मक कदम उठायेगी जैसे राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट के आधार पर आदेशित किये जायें।

20 सडक सुरक्षा निधि का प्रशासन–(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा, सरकारी पणधारियों या निजी पणधारियों द्वारा जिम्मे ली गयी सडक सुरक्षा गतिविधियों के लिए, निधि का प्रबंध किया जायेगा ।

(2) सडक सुरक्षा प्राधिकरण पणधारी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेंगे और संकर्म करने के लिए बजट आवंटन और वित्तीय मंजूरी के लिए अनुमोदन का उपबंध करेगा।

21 फ्लेक्सी पूल तंत्र – निधि फ्लेक्सी पूल तंत्र के रूप में होगी जिसके द्वारा यदि सडक सुरक्षा प्राधिकरण को ऐसे सडक सुरक्षा क्रियाकलाप के निष्पादन की आवश्यकता हो जिसके लिए अभिहित बजट शीर्ष में बजट उपलब्ध न हो तो इसे दूसरे बजट शीर्ष से अंतरित या प्रयुक्त किया जा सकेगा बशर्ते कि निष्पादित की जाने वाली कोई लंबित क्रियाकलाप न हो या अन्य पणधारी विभाग को उस बजट शीर्ष से आवंटन के लिए कोई भी वित्तीय मंजूरी जारी नहीं की गयी हो।

22 पी डी खाता–(1) सभी सरकारी पणधारी विभाग सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित सडक सुरक्षा क्रियाकलापों के संचालन के लिए,बजट आवंटन के लिए एक पी डी खाता खोलेंगे।

23 नियम बनाने की शक्ति– विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वो रीति जिसमें सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निधि का प्रशासन किया जायेगा,

(ख) वो प्रयोजन जिनके लिए निधि का उपयोग किया जायेगा।

(ग) वो रीति जिसमें सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निधि का लेखा संधारित किया जाना है।

अध्याय 4

सडक सुरक्षा कार्य योजना

24 सडक सुरक्षा कार्य योजना–(1) सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ पणधारी विभागों और तकनीकी कार्यरत समूहों से परामर्श करके पणधारी विभागों और अन्यों द्वारा जिम्मे लिये जाने वाले सडक सुरक्षा से संबंधित अल्प अवधि,मध्यम अवधि और दीर्घकालीन अवधि अध्युपायों और गतिविधियों को समाविष्ट करते हुए प्रत्येक दो वर्ष के लिए सडक सुरक्षा कार्य योजना विकसित करेगा।

(2) कार्य योजना में आवश्यक रूप से, सडक सुरक्षा पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय समितिया राज्य सडक सुरक्षा परिषद् या किसी भी अन्य राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी राज्य सडक सुरक्षा पालिसी के उद्देश्यों, सडक सुरक्षा के पांच स्तम्भों के अनुसार अध्युपायों,सुरक्षा त़ंत्र पहुंच,निर्देशों को सम्मिलित किया जायेगा ।

(3) कार्य योजनासडक सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।

(4) कार्य योजना में बजटीय उपबंधों सहित वार्षिक लक्ष्यों, अपेक्षित वित्तीय विवक्षाएं परिभाषित होंगी ।

(5) कार्य योजना में परिभाषित अध्युपायों पहलों और गतिविधियों को सम्मिलित कर सकेगा जिन्हें पणधारी विभागों के विद्यमान बजट उपबंध या समर्पित सडक सुरक्षा निधि से पूरा किया जा सकता है ।

25 कार्य योजना की अनुपालना –सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में परिभाषित पहल और क्रियाकलाप पणधारियों द्वारा आवश्यक रूप से समयबद्ध रीति से अनुपालित किये जायेंगे।

26 क्रियाकलापों का मानीटर किया जाना–पणधारियों द्वारा क्रियान्वित किये गये पहल राज्य स्तर पर सडक सुरक्षा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला सडक सुरक्षा समिति द्वारा मानीटर किये जायेंगे।

अध्याय 5

सडक स्वामित्व वाली एजेंसियां

27 सडक सुरक्षा संपरीक्षा–समस्त सडक स्मावित्व वाली एजेंसियां एक्सप्रेस वे, राजमार्ग, मेंजर जिला सडकें,और अन्य सडकें, और नगरीय सडकों सहित विद्यमान सडकों का भारतीय सडक कांग्रेस (भा0स0कां0) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानको का पालन करने के लिए थर्ड पार्टी सडक सुरक्षा संपरीक्षा (स्तर 5) करवायेगा। किसी सडक स्वामित्व वाली एजेंसी का प्रमाणित सडक सुरक्षा संपरीक्षक दूसरी सडक स्वामित्व वाली एजेंसी के लिए थर्ड पार्टी के रूप में माना जायेगा।

28 राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा सुविधाएं–राजमार्ग प्राधिकरण राज्य में सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट टोल प्लाजा और दूरी पर यात्रियों के लिए अत्यावश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा। सुविधाओं में पुरूष और महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष, पीने का पानी, और प्राथमिक उपचार पेटी सम्मिलित होगी। राजमार्ग प्राधिकरण आपात्तकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपस्कर और उपकरण भी रखेगी यथा गश्त यान, भारी ड्यूटी क्रेन, जीवन रक्षक उपस्कर सहित एम्बूलेंस, राजमार्गों के लिए तत्स्थानी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट

मानकों के अनुसार उन्हें प्रयोग करने के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित मानव शक्ति के साथ अग्नि शमन यान और अग्नि शमन उपस्कर।

29 सडक किनारे सुख सुविधाएं– राजमार्ग प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 135 के अधीन बनायी गयी स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट राजमार्गों के साथ साथ सडक किनारे सुख सुविधाएं विकसित करेगा।

30 राजमार्ग पर गश्त –सडक सुरक्षा प्राधिकरण, राजमार्गों पर गश्त के लिए अपेक्षित प्रयुक्त किये जाने वाले यानों, आवश्यक उपस्कर और जनशक्ति सहित राजमार्ग गश्त संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित करेगां। राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य दोनों आवश्यकता होने पर संयुक्त गश्त संचालन के लिए पुलिस के साथ सन्वय कर सकते हैं। राजमार्ग गश्त निम्न मुद्दों को शामिल करने के लिए संचालित की जायेगी जैसे यातायात प्रबंधन,दुर्घटना या किसी भी अन्य कराण से सडक पर बाधा को हटाना, अनाधिकृत रूप से मध्य में खुले ढक्कनों का मानीटर और हटाया जाना,अनधिकृत पार्किंग का हटाया जाना, सडक फर्नीचर की मानीटरिंग,सडक पर आवारा पशुओं का नियंत्रण, सडक से कूडा कचरा हटाया जाना या कोई भी ऐसी गतिविधि जो सडक उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए खतरा पैदा करना।

31 सडकों पर आवारा पशु–(1) सडक स्वामित्व वाली एजेंसियां पशुओं के कारण कारित सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी प्रवर्ग की सडकों पर आवारा या घरेलू पशुओं के आवागमन को रोकने या निर्बंधित करने के लिए अध्युपायों का क्रियान्वयन करेगा। सडक सुरक्षा प्राधिकरण प्शुओं के यातयात के आवागमन में कारित बाधा को हटाने के लिए सडक स्वामित्व वाली एजेंसियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करके सडक पर आवारा छोडने वाले पशुओं के स्वामियों पर इस अधिनियम द्वारा यथा–विहित शास्ति अधिरोपित करेगा।

(2) किसी व्यक्ति के बिना स्वामित्व वाले किसी आवारा पशु को खलिहान या अस्तबल में रखा जायेगा। सडक स्वामित्व एजेंसियां ऐसे स्थानों की पहचान करेगी और जहां पर पशुओं को रखने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, तो पशुओं को रेट्रों–रिफ्लेक्टिव बेल्ट या कोई भी अन्य

युक्ति पहनायी जायेगी जिसे पशु को बिना नुकसानी या क्षति कारित किये रात्रि या कम रोशनी की दशाओं में एक दूरी से देखा जा सकता है ।

अध्याय 6

ट्रोमा एवं आपात्तकालीन देखरेख

32 **ट्रोमा देखरेख पालिसी**–(1) सरकार दुर्घटना संभावित जिलों, प्रमुख राजमार्गों और कठिन भौगोलिक क्षेत्र जहां नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रतिक्रिया समय ज्यादा है, के अनुसार सडक दुर्घटनाओं से संबंधित ट्रोमा देखरेख सुख सुविधा आवश्यकताओ का निर्धारण करने के लिए राजस्थान राज्य ट्रोमा सुख सुविधा पालिसी विकसित करेगी।

(2) ट्रोमा देखरेख पालिसी सडक दुर्घटनाओं में पीडितों का जीवन बचाने के लिए समयबद्ध विश्चित देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए ट्रोमा और आपात्तकालीन देखरेख सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए मुद्दों को लिखेगा । पालिसी में निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) समस्त जिलों में ट्रोमा देखरेख सेवाओं का निर्धारण,

(ख) निर्धारण के अनुसार शहरों और राजमार्गों के साथ–साथ ट्रोमा केन्द्रों के I.II,III या IV स्तर का विकास,

(ग) ट्रोमा केन्द्रों के समस्त स्तरों पर प्राथमिकता निर्धारण के प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन,

(घ) एम्बूलेंस सेवाओं से संबंधित गैप विश्लेषण का करना और राज्य में ए एल एस,बी एल एस और अन्य एम्बूलेंसों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करना,

(ड) दुर्घटना उन्मुख स्थानों और खण्डों की पहचान करना और दुर्घटना स्थानों की गंभीरता के अनुसार एम्बूलेंस को रखना,

(च) कम से कम समय में निश्चियात्मक उपचार सुनिश्चित करने के लिए आगमन पूर्व सूचना तंत्र को इस प्रकार से विकसित करना कि ट्रोमा केन्द्रों को पीडित को चिकित्सालय लाये जाने से पूर्व सूचित किया जा सके,

(छ) राजमार्गों के नजदीक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ट्रोमा स्थिरीकरण ईकाइयों के रुप में अपग्रेड करने की योजना बनाना, और

(ग) सडक दुर्घटना के प्रथम 72 घण्टों के लिए सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों में सडक दुर्घटना पीडितों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना।

33 **एम्बूलेंस–**(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ए आई एस–125 मानकों की पुष्टि करते हुए ए,बी,सी और डी टाइप को सम्मिलित करते हुए राज्य में प्रत्येक प्रवर्ग की एम्बुलेंसों की संख्या सुनिश्चित करेगा।

(2) समस्त एम्बूलेंसों में, चाहे सरकारी हों या व्यष्टियों या किसी चिकित्सालय या किसी टोल प्लाजा द्वारा निजी स्वामित्व वाली हों, ए आई एस–140 मानकों की पुष्टि करते हुए यान स्थान ट्रैकिंग युक्ति आवश्यक रुप से स्थापित होनी चाहिए।

(3) समस्त सरकारी और निजी स्वामित्व वाली एम्बूलेंस इस प्रकार से एकीकृत किया जायेगा कि उन निजी एम्बुलेंसों को आपात्तकालीन प्रतिक्रिया के लिए विशेष रुप से दुर्घटनाओं से सबंधित प्रयुक्त किया जा सके।

(4) सडक सुरक्षा प्राधिकरण समस्त टाइप की निजी एम्बूलेंसों को एकीकृत,प्रचालन,और मानीटर करने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित साल्यूशन विकसित करने के लिए किसी संगठन की सेवाएं भाडे पर ले सकेगा।

(5) समस्त एम्बूलेंस राज्य में केन्द्रीकृत रुप से नियंत्रित कमाण्ड केन्द्र के जरिए मानीटर की जायेगी। आपात्तकाल की दशा में, सडक सुरक्षाा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित ऐसे निबंधनों और शर्तों पर समय पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए घटना की प्रतिक्रिया के लिए घटना स्थल के निकटतम किसी निजी एम्बूलेंस को आदेशित किया जा सके।

(6) टोंल प्लाजा और निजी चिकित्सालयों द्वारा स्वामित्व वाली को छोडकर ऐसी निजी एम्बूलेंस द्वारा घटना की प्रतिक्रिया देने और पीडित को निकटतम चिकित्सासलय ले जाने के लिए उस एम्बूलेंस प्रदाता को भुगतान सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदेय होगा।

(7) सडक सुरक्षा प्राधिकरण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सहायता से एम्बूलेंसों पर लगे हुए समस्त प्रकार के और प्रवर्गों के एम्बूलेंस चालकों, चिकित्सा सहायक और अन्य कर्मचारियों के लिए मूल जीवन सहायता पर आवश्यक प्रशिक्षण संचालित करायेगा।

(8) सडक सुरक्षा प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों और आदेशों की अनुपालना में विफल होने पर व्यष्टि,चिकित्सालय या टोल प्लाजा सहित किसी निजी एम्बूलेंस से संबंधित स्वामी इस अधिनियम की धारा 50 के अनुसार दंडनीय होगा।

34 नेक व्यक्ति(गुड सेमेरिटन)–(1) मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 134 क में यथा विहित पणधारी किसी नेक व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करेंगे।

(2) सडक सुरक्षा प्राधिकरण शासकीय अधिसूचना द्वारा राज्य में नेक व्यक्ति पहचानने के लिए स्कीम लांच करेगा।

(3) सडक सुरक्षा प्राधिकरण जागरूकता पैदा करने के लिए सामान्य जनता को स्पष्ट रूप से दृश्य और पहुंच योग्य स्थानों पर 'नेक व्यक्ति' के अधिकार या 'पुलिस और

चिकित्सालयों के लिए निदेश' का आवश्यक रूप से प्रदर्शन करने के लिए आदेश जारी करेगा।

(4) सडक सुरक्षा प्राधिकरण गैर लाभकारी संगठनों और एजेंसियों की सहायता से मूलभूत जीवन सहायता और नेक व्यक्ति दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न विभागों,निजी संगठनों और सामुदायिक समूहों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का संचालन करेगा।

35 सडक दुर्घटना पीडितों के पुनर्वास के लिए स्कीम– सरकार, सडक दुर्घटना पीडितों और परिवार के सहायता तंत्र को विकसित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम लांच करेगी। स्कीम निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करेगी किन्तु इन तक सीमित नहीं होगी–

(क) पीडितों और परिवार सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर सहित परेशान महिलाओं और बच्चों के लिए सभी जिलों में 24/7 समय के लिए परामर्श केन्द्रों की स्थापना करना,

(ख) पीडितों के परिवार को विधिक,मनोवैज्ञानिक,और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, यदि आवश्यक हो,

(ग) दुर्घटना पीडितों के लिए और रीढ की हड्डी को हुई क्षतियां और अस्थि निर्योग्यता वालों के लिए पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।

36 स्कूल और महाविद्यालय पाठ्यक्रमों में बुनियादी जीवन सहायता–(1) सरकार छात्रों के लिए बुनियादी जीवन सहायता स्कूल और महाविद्यालय पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करेगी। सडक सुरक्षा प्राधिकरण कार्यालय आदेश द्वारा छात्रों को बुनियादी जीवन सहायता प्रशिक्षण देने के लिए मानक पाठ्यक्रम जारी करेगी।

(2) शैक्षण्कि संस्थाओं का प्रशासन प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा बुनियादी जीवन सहायता पर अध्यापकों और व्याख्याताओं के सामर्थ्य निर्माण को सुनिश्चित करेगा जिससे कि छात्रों को

शिक्षा दे सकें। ऐसी संस्थाओं के लिए प्रत्येक दो वर्ष में अध्यापकों और व्याख्याताओं के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण संचालित किया जाना अपेक्षित होगा।

अध्याय 7

सडक सुरक्षा शिक्षा

37 स्कूल और महाविद्यालय पाठ्यक्रमों में सडक सुरक्षा–(1) सरकार कक्षा 1 से 12 तक स्कूल पाठ्यक्रम में और विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंधन और इंजीनियरिंग जैसे सभी वर्गों में महाविद्यालय पाठ्यक्रम में सडक सुरखा सम्मिलित करेगी । सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा कार्यलय आदेश द्वारा सकूल पाठ्यचर्या और महाविद्यालय पाठ्यचर्या के लिए पाठ्यक्रम जारी किया जायेगा।

(2) सडक सुरक्षा प्राधिकरण कार्यालय आदेश द्वारा सडक सुरक्षा पर प्रमाणकर्ता अध्यापकों या व्याख्याताओं के लिए मानक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी करेगा। प्रमाणित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शैक्षणिक संस्थाएं पांच तक किन्तु दो से कम अध्यापकों या व्याख्याताओं को नामनिर्देशित करेगी। अध्यापक या व्याख्याता साडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित ऐसे संगठनों, विशेषज्ञों या मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किये जायेंगे। ऐसे प्रमाणित अध्यापकों या व्याख्यताओं में से सडक सुरक्षा प्राधिकरण सडक सुरक्षा के लिए राज्य में अध्यापकों और व्याख्याताओं के लिए प्रमाणित अध्यापक प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान और नामनिर्देशित कर सकेगी।

(3) प्रमाणित अध्यापकों के लिए उनका ज्ञान अभिवर्धन के लिए प्रत्यके दो वर्ष में रिफ्रेशर प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक वर्ष नये एकेडमिक सत्र के प्रारम्भ पर सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसरण में सभी स्कूल और महाविद्यालय आवश्यक रूप से सडक सुरक्षा क्लब का गठन करेंगे। सडक सुरक्षा क्लब के बैनर के अधीन ऐसी संस्थाएं छात्रों के लिए गतिविधि कलैण्डर तैयार करेगी और सडक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन करेगी। संस्थाएं, छात्रों, अध्यापकों और व्याख्याताओं के लिए गतिविधियां या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए, सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटियों या विशेषज्ञों से भी सहायता ले सकेगी।

38 यातायात पार्क–(1) सरकार सडक सुरक्षा के बारे में स्कूल, महाविद्यालय के बच्चों और सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए समस्त जिलों में यातायात पार्क विकसित करेगी।

(2) यातायात पार्क पुलिस विभाग और परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किये जायेंगे।

(3) पुलिस विभाग और परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग पूरे वर्ष स्कूल और महाविद्यालय छात्रों की यातायात पार्क मे विजिट को सुनिश्चित करेगा।

39 बाल वाहिनी विनियम–(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कूल के बच्चों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए बाल वाहिनी विनियम जारी कर सकेगा।

(2) यान के चालक या स्वामी या स्कूल या महाविद्यालय के प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी विनियमों के अनुपालन की विफलता पर इस अधिनियम की धारा 50 के अनुसार दण्डनीय होगा।

अध्याय 8

प्रवर्तन

40 गैर यांत्रिक रुप से नोदित परिवहन का विनियमन––(1) सरकार, मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 138 से सक्षम शक्तियो को प्राप्त करके सार्वजनिक स्थानों और राजमार्गों के लिए गैर यांत्रिक रुप से नोदित यानों और पैदल चलने वालों के क्रियाकलापों और पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी।

(2) गैर यांत्रिक रुप से नोदित परिवहन के साधनों में पैदल चलना,साइक्लिंग,स्केटस, स्कूटर्स,पुश स्कूटर,हाथ गाडी और पशु चालित गाडियां सम्मिलित है ।

(3) गैर मोटर चालित परिवहन के विनियमों का उल्लंघन सरकार द्वारा यथा विहित प्रवर्तनीय होगा।

41 इलैक्ट्रोनिक प्रवर्तन –(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण राजमार्गों पर घटित होने वाली दुर्घटनाओ को रोकने के लिए दुर्घटना उन्मुख हिस्सों की पहचान करेगा और दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या के अनुसार उनकी प्राथमिकता निर्धारण करेगाा। स्वचालित प्रवर्तन तंत्र को चरणबद्ध तरीकों में ऐसे राजमार्ग हिस्सों पर स्थापित किया जायेगा।

(2) शहरों या नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को आधार मानते हुए सडक सुरक्षा प्राधिकरण ऐसे शहरों या नगरीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और स्चचालित प्रवर्तन तंत्र को ऐसे क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करेगा ।

42 राजमार्ग पुलिस– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 से शक्ति प्राप्त करके सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ छह मास के भीतर – भीतर अधिसूचना द्वारा राजमार्ग पुलिस की स्थापना करेगी और इस आशय की विधि का सूत्रपात कर सकेगी और निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों से राजमार्ग पुलिस को न्यस्त किया किया जा सकेगाः

क) बेहत्तर यातायात प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए यातायात प्रबंधन,

ख) उल्लंघनों का पता लगाने और अपराधियों के विरुद्ध केस रजिस्टर करने के लिए राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर गश्त करना,

ग) दुर्घटना के कारणों को अवधारित करने के लिए दुर्घटना अन्वेषण करना,

घ) आपातकालीन प्रतिक्रिया दुर्घटना स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए किन्तु सीमित नहीं,

43 यातायात सहायता चौकियां– सरकार परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 135 के अधीन अधिसूचित स्कीम के अनुसार राजमार्गों पर यातायात सहायता चौकियों की स्थापना करेंगी।

अध्याय 9

सडक दुर्घटनाएं

44 सडक दुर्घटना का अन्वेषण– परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 135 के अधीन अधिसूचित स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार दुर्घटना का अन्वेषण किया जायेगा।

45 संयुक्त निरीक्षण–(1) राज्य के भीतर कम से कम तीन या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु कारित करते हुए घटित सडक दुर्घटना की दशा में दुर्घटना या स्थान की प्रकृति, और अंतर्वलित यान को दृष्टि में लाये बिना परिवहन और सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित सडक स्वामित्व वाली एजेंसी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के पश्चात् एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट(सं नि रि) तैयार की जायेगी जिसे सडक

सुरक्षा प्राधिकरण और संबंधित पणधारियों को दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशों के कियान्वयन के लिए अग्रेषित की जायेगी।

(2) संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट सिफारिशों या अध्युपायों का संबंधित पणधारियों द्वारा समयबद्ध रीति से अनुपालना की जायेगी और सडक सुरक्षा प्राधिकरण को अनुपालना रिपोर्ट अग्रेषित की जायेगी।

(3) संयुक्त निरीक्षण से संबंधित कियाकलापों को आवश्यक रूप से सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित किसी समयबद्ध रीति में एकीकृत सडक दुर्घटना डेटाबेस (ए स दु डे) या किसी पद्धति में प्रविष्ट किया जायेगा।

अध्याय 10

प्रशिक्षण और हैसियत बिल्डिंग

46 प्रशिक्षण और हैसियत बिल्डिंग– सडक सुरक्षा प्राधिकरण राज्य सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ की सहायता से सेंटर आफ एक्सीलेंस के अधीन गठित राज्य स्तरीय सडक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था के जरिए पणधारियों, अन्य सरकारी विभागों और निजी पणधारियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हैसियत बिल्डिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित करेगा।

47 यातायात परामर्श केन्द्र– पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में यातायात परामर्श केन्द्र स्थापित किया जायेगा। यातायात परामर्श केन्द्र सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अपराधों के लिए यातायात अपराधियों के लिए दो घण्टे से अन्यून अवधि के लिए यातायात नियमों का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यातायात अतिक्रमणकारी आवश्यक रूप से सेशन में उपस्थित होने के लिए परामर्श केन्द्रों को विजिट करेंगें। ऐसे यातायात अपराधियों का

चालान, सेशन में उपस्थित होने के पश्चात् और अपराधियों यातायात परामर्श केन्द्र से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लेने के पश्चात् ही, प्रशमित किया जायेगा।

48 सडक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र– परिवहन और सडक सुरक्षा विभाग कार्यालय आदेश द्वारा राज्य में प्रत्येक क्षेत्रीय या जिला परिवहन कार्यालय पर सडक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या जिला परिवहन कार्यालय में किसी प्रयोजन से आने वाले लोगों को किसी मोटर यान निरीक्षक या उप निरीक्षक द्वारा भौतिक या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सडक सुरक्षा पर जागरूकता प्रदान की जायेगी।

अध्याय 11

अपराध और शास्तियां

49 सडक सुरक्षा प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना करने में विफल रहने पर दण्ड–(1) जो काई इस अधिनियम के सडक सुरक्षा प्राधिकरण या जिला सडक सुरक्षा समिति के किसी आदेश की अनुपालना करने से इंकार करता है या विफल रहता है, तो वह छह मास की किसी अवधि के कारावास से, या जुर्माने से, जो पच्चास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) निरन्तर अपराध की दशा में प्रतिदिन पांच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा जिसके लिए अपराध जारी रहता है ।

50 सडक सुरक्षा प्राधिकरण को बाधा पहुंचाने के लिए दण्ड –(1) जो कोई सडक सुरक्षा प्राधिकरण या राज्य सडक सुरक्षा परिषद् या जिला सडक सुरक्षा समिति, या इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहण में उनके द्वारा नियोजित या लगे हुए किसी भी

अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है तो वह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से, या जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

51 अपराधों का प्रशमन — धारा 49 और 50 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संस्थित किये जाने से या तो पूर्व या पश्चात् ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम से प्रशमित किया जा सकेगा जो कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

52 कंपनियों द्वारा अपराध— जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार दंडित किये जाने के दायी होंगेः

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) 'कंपनी' से कोई निकाय अभिप्रेत है, और इसमें कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम सम्मिलित है,और

(ख) फर्म के संबंध में 'निदेशक' से फर्म में कोई भागीदार अभिप्रेत है।

53 सडक सुरक्षा क्रियाकलापों के लिए स्कीम –(1) सडक सुरक्षा प्राधिकरण, सडक सुरक्षा प्रशिक्षण,शिक्षा,जागरुकता अभियान और सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा विहित अन्य क्रियाकलापों के संचालन के लिए सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटियों और फर्मों को वित्तीय अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए परिपत्र जारी करके एक स्कीम लांच करेगा।

(2) प्रारम्भ में इस स्कीम को पांच वर्ष की कालावधि के लिए लांच की जायेगी और पांच वर्षो के अन्तराल पर नियमित आधार पर उसको पुनरीक्षित किया जायेगा।

अध्याय 12

डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट

54 **सड़क दुर्घटना डेटा का संग्रहण.–** परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस, सड़क स्वामित्व वाली एजेंसिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग या अन्य अधिकृत विभाग या एजेन्सी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (ए स दु डे) या सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा विहित एप्लीकेशन का उपयोग करके सड़क दुर्घटनाओं का डेटा संग्रहण करेगा। पणधारी समयवद्ध रीति से किसी सड़क दुर्घटना से संबंधित सुसंगत डेटा प्रविष्ट करने के लिए अभिहित सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे।

55 **सड़क दुर्घटना डेटा का विश्लेषण.–** सड़क सुरक्षा प्राधिकरण किसी कलैण्डर वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् वार्षिक आधार पर सड़क दुर्घटना डेटा का ब्योरेवार विश्लेषण करेगा। सड़क दुर्घटना प्राधिकरण एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस का उपयोग करके

या पुलिस विभाग द्वारा संगृहीत और संधारित सड़क दुर्घटना डेटा का उपयोग करके सड़क दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट का भी संकलन और प्रकाशन करेगा।

56 **वार्षिक रिपोर्ट.–** (1) सड़क सुरक्षा प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष के क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए, ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट को प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

57 **रिपोर्ट का प्रकाशन.–** सड़क सुरक्षा प्राधिकरण धारा 55 और 56 में विहित रिपोर्टों को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाने के लिए राज्य के वेब पोर्टल और परिवहन और सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा–विहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

58 **सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण.–**(1) जिला सड़क सुरक्षा समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पूर्ववर्ती वर्ष की इसके क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप और ऐसे समय पर, जो विहित की जाये, तैयार करेगी और सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला सड़क सुरक्षा सुरक्षा समिति भी सडक सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय समिति के निदेशों की अनुपालना में त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगी और सडक सुरक्षा प्राधिकरण को प्रसतुत करेगी । जिला सडक सुरक्षा समिति भी सडक सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अनुपालना रिपोर्ट भी तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

59 **जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा रिपोर्ट इत्यादि का प्रस्तुत किया जाना.–** प्रत्येक जिला सड़क सुरक्षा समिति सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को ऐसी रिपोर्ट और रिर्टन प्रस्तुत करेगा और ऐसी सूचना देगा जो समय–समय पर अपेक्षित हो, और सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ एक समेकित रिपोर्ट सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा जैसा कि सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा वांछा की जाये।

अध्याय 13

विविध

60 **भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य रकम.–** इस अधिनियम के अधीन सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को देय कोई भी रकम वसूली के किसी भी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस रीति से वसूली योग्य होगी जैसी कि भूमि पर देय राजस्व के बकाया के रूप में हो।

61 **अपील.–** इस अधिनियम के अधीन सडक सुरक्षा प्राधिकरण या जिला सड़क सुरक्षा समिति के किसी भी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यधित कोई भी व्यक्ति ऐसे समय के भीतर–भीतर जो विहित किया जाये, राजस्थान सड़क सुरक्षा अपीलीय अधिकरण को अपील कर सकेगा। राज्य सरकार, किसी न्यायिक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए, जो कि जिला न्यायाधीश से अनिम्न का पद धारित करता हो या ऐसा पद धारित करता हो, अधिसूचना द्वारा राजस्थान सडक सुरक्षा अपीलीय अधिकरण का गठन करेगा।

(2) उप–धरा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो कि विहित की जाये।

(3) उप–धरा (1) के अधीन कोई भी अपील प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकरण अपीलार्थी को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथा संभव शीघ्रता से अपील को निपटायेगा।

62 **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.–** राज्य सरकार या सडक सुरक्षा प्राधिकरण या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या राज्य सुरक्षा प्राधिकरण के किसी भी सदस्य या किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये

गये नियमों के अधीन सदभापर्वूक की गयी या किये जाने के लिए तार्त्यियत या अनुसरण में किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

63 **राजस्थान राजमार्ग अधिनियम, 1964 के अल्पीकरण में अधिनियम का न होना.–** इस अधिनियम के उपलब्ध राजस्थान राजमार्ग अधिनियम 1964 (1964 का अधिनियम सं. 44) के उपवधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

64 **मोटर यान अधिनियम, 1988 के अल्पीकरण में अधिनियम का न होना.–** इस अधिनियम के उपबंध मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम सं. 59.) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अल्पीकरण में।

65 **निदेश देने की शक्ति.–** राज्य सरकार सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी और सड़क सुरक्षा प्राधिकरण ऐसे निदेशों को प्रभाव में लाने के लिए बाघ्य होगा।

66 **नियम बनाने की शक्ति.–** (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संपादित किये जाने वाले कृत्य;

(ख) वो रीति जिसमें उपकर संगृहीत किया जाना है और निधि का प्रेषित किया जाना है,

(ग) वो प्रयोजन जिसके लिए निधि का उपयोग किया जायेगा,

(घ) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदाभिधान, नियुक्ति का तरीका और सेवा की शर्ते,

(ड.) वो रीति जिसमें धारा 24 के अधीन सड़क सुरक्षा आयुक्त द्वारा निधि का लेखा संधारित किया जाना है,

(च.) धारा 26 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय,

(छ) धारा 32 के अधीन अपील फाइल करने के लिए समय और फीस,

(ज) कोई भी अन्य मामला जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या हो सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो चौदह दिन की कुल कलावधि के लिए जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की जिसमे वे इस प्रकार रखे गये हों या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्ही भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह विनिश्चिय करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे, या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

67 **विनियम.–** सड़क सुरक्षा प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सडक सुरक्षा प्राधिकरण और जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विनियम बना सकेंगे।